FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

बगताराम .... बनाम .... विरधाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० अधि० .... नं. 49/19 .... सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिड़मलराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 123 R.L.R Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/2/19	प्रार्थी वकील उप०/विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु०/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से निरस्त इजलास होकर आगामी दिनांक 27/03/2019 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested

27/3/19

प्रार्थी वकील उप०/ विपक्षीगण वावजूद अनु०/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने [से] मिसल इत्तला होकर दिनांक 25/05/19 को पेश हो।

25/5/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 03/7/19 का पेश हों।

3/7/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 21/10/19 का पेश हों।

21/10/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 23/12/19 का पेश हों।

23/12/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 19/02/2020 का पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लगते आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मार्ड व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। पवति होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में कास्त कर लेते है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजि. से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) …2020	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी हुए

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 176

दिनांक:– 19/02/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
वगताराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी चौखला		विरधाराम पुत्र नैनाराम वगैरा निवासी चौखला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 42 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी व सखरोड़ा पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 733 / 18 व 137 / 72 क्रमशः रकबा 49.01 व 17.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500 / – जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
19.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 177 to 181

दिनांक:– 19/02/2020

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री वगताराम पुत्र उगराराम
4. विप्रार्थीगण विरधाराम पुत्र नैनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested